बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। संकल्प ।।

विषय– बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम, 1992) में बिहार सरकार के राज्याधीन सेवाओं में 03 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–963 दिनांक–20.01.2016 द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 03 प्रतिशत पदों को छोड़कर शेष 97 प्रतिशत पद के विरुद्ध महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

3. इस प्रकार उक्त वर्णित दोनों प्रावधान के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में लगभग 37 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्णित स्थिति में राज्याधीन सेवाओं में की जाने वाली नई नियुक्तियों के फलस्वरूप राज्य में महिला सरकारी सेवकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस क्रम में महिला सरकारी सेवकों का पदस्थापन राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ स्थानों पर भी किया जा रहा है। परन्तु ऐसे स्थानों में उनके आवासन के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें पदस्थापन स्थल से दूर अपने आवासन की व्यवस्था करनी पड़ती है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

4. वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण में भी राज्य सरकार द्वारा महिला सिपाहियों का पदस्थापन थाने के आस–पास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराया पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है।

5. अतः उक्त वर्णित स्थिति में राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के नजदीक आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है–

(i) अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों के आवासन हेतु भवन उपलब्ध कराने के इच्छुक मकान मालिकों से **रूचि की अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EOI)]** आमंत्रित किया जायेगा।

(ii) प्राप्त आवेदनों पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार कर एतदर्थ भवन का चयन किया जायेगा–

(क) जिला पदाधिकारी	– अध्यक्ष
(ख) जिला पुलिस अधीक्षक	– सदस्य
(ग) स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि	– सदस्य
(घ) भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता	– सदस्य
(ङ) अनुमण्डल पदाधिकारी	– सदस्य सचिव

(iii) भवन का चयन निर्धारित मकान किराया दर के अन्तर्गत ही किया जायेगा। चयन के क्रम में संबंधित निजी भवन में सुरक्षा व्यवस्था तथा मौलिक सुविधाओं (विद्युत, जल, शौचालय आदि) की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जायेगी।

(iv) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा चयनित भवन मालिक से उनके निजी मकान को पट्टा (Lease) पर लिये जाने हेतु एकरारनामा (Lease Agreement) किया जायेगा।

(v) राज्य/प्रमण्डल/जिला मुख्यालय से भिन्न स्थल पर पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों द्वारा अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने का आवेदन किया जायेगा। प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवासन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) जिन महिला सरकारी सेवकों को उक्त व्यवस्था के तहत आवासन सुविधा उपलब्ध होगी, उनके वेतन मद में मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रासंगिक मकान के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यथानिर्धारित जलकर/मलकर का भुगतान संबंधित भवन मालिक द्वारा किया जायेगा।

(vii) संबंधित महिला कर्मी से आवासन से संबंधित किसी असुविधा की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने का दायित्व संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी का होगा।

6. यह तुरत प्रवृत होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Rajender 12.6.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–14/2025सा0प्र0 10647 /पटना, दिनांक– 12.6.25

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Rajender 12.6.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–14/2025सा0प्र0 10647 /पटना, दिनांक– 12.6.25

प्रतिलिपि–राज्यपाल, बिहार के सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajender 12.6.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।